

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 27

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	12457.46	389.63	12847.09	21355.89	581.01	21936.90	17209.75	356.56	17566.31	25583.11	443.14	26026.25
<i>वसूलियां</i>	-80.75	...	-80.75
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	12376.71	389.63	12766.34	21355.89	581.01	21936.90	17209.75	356.56	17566.31	25583.11	443.14	26026.25
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	123.80	28.93	152.73	125.80	49.20	175.00	158.85	51.15	210.00	164.97	45.28	210.25
2. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	1264.00	142.19	1406.19	1399.94	348.70	1748.64	1399.73	138.61	1538.34	1384.60	215.40	1600.00
3. नियामक प्राधिकरण												
3.01 मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी)	102.46	33.92	136.38	137.50	37.50	175.00	128.85	21.15	150.00	134.65	35.35	170.00
3.02 साइबर सुरक्षा (सीईआरटी- इन)	65.07	184.21	249.28	93.04	144.96	238.00	96.00	145.00	241.00	109.00	146.00	255.00
3.03 प्रमाणन प्राधिकरणों का नियंत्रक (सीसीए)	10.64	0.38	11.02	13.39	0.61	14.00	14.39	0.61	15.00	14.39	0.61	15.00
3.04 डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड	1.96	0.04	2.00	1.96	0.04	2.00	4.50	0.50	5.00
जोड़- नियामक प्राधिकरण	178.17	218.51	396.68	245.89	183.11	429.00	241.20	166.80	408.00	262.54	182.46	445.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1565.97	389.63	1955.60	1771.63	581.01	2352.64	1799.78	356.56	2156.34	1812.11	443.14	2255.25
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम												
4. इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन												
4.01 कार्यक्रम घटक	552.86	...	552.86	631.50	...	631.50	631.50	...	631.50	590.00	...	590.00
4.02 ईएपी घटक	18.78	...	18.78	18.50	...	18.50	24.50	...	24.50	27.00	...	27.00
जोड़- इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन	571.64	...	571.64	650.00	...	650.00	656.00	...	656.00	617.00	...	617.00
5. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	581.94	...	581.94	240.26	...	240.26	490.26	...	490.26	0.25	...	0.25
6. इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर)	694.27	...	694.27	750.00	...	750.00	677.68	...	677.68	712.00	...	712.00
7. आईटी/आईटीईएस उद्योग का संवर्धन	115.76	...	115.76	130.00	...	130.00	128.50	...	128.50	130.00	...	130.00
8. साइबर सुरक्षा परियोजनाएं	316.51	...	316.51	759.00	...	759.00	322.00	...	322.00	782.00	...	782.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
9. आईटी / इलेक्ट्रॉनिक्स / सीसीवीटी में अनुसंधान और विकास	877.09	...	877.09	1148.25	...	1148.25	1183.56	...	1183.56	1249.75	...	1249.75
10. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना	582.75	...	582.75
11. क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना	434.16	...	434.16	537.50	...	537.50	537.50	...	537.50	575.00	...	575.00
12. डिजिटल लेनदेन संवर्धन (डिजिटल भुगतान के अलावा)	1.50	...	1.50	4.50	...	4.50	5.00	...	5.00
जोड़-डिजिटल इंडिया कार्यक्रम	4174.12	...	4174.12	4216.51	...	4216.51	4000.00	...	4000.00	4071.00	...	4071.00
13. इंडिया एआई मिशन	551.75	...	551.75	173.00	...	173.00	2000.00	...	2000.00
14. भारत में सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम												
14.01 भारत में कम्पाउण्ड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकन फोटोनिक्स/सेंसर्स फैब/डिस्क्रेट सेमिकंडक्टर फैब और सेमिकंडक्टर एसेम्बली, परीक्षण, मार्किंग एवं पैकेजिंग (एटीएमपी)/ आउटसोर्सिड सेमीकंडक्टर एसेम्बली और परीक्षण (ओएसएटी) सुविधाओं की व्यवस्था के लिए संशोधित योजना	644.32	...	644.32	4203.00	...	4203.00	2500.00	...	2500.00	3900.00	...	3900.00
14.02 भारत में सेमिकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना	1500.00	...	1500.00	1200.00	...	1200.00	2499.96	...	2499.96
14.03 भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना	100.00	...	100.00	0.01	...	0.01	0.04	...	0.04
14.04 सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण, मोहाली	6.23	...	6.23	900.00	...	900.00	11.00	...	11.00	400.00	...	400.00
14.05 डिजाइन आधारित प्रोत्साहन योजना	30.56	...	30.56	200.00	...	200.00	105.46	...	105.46	200.00	...	200.00
जोड़- भारत में सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम	681.11	...	681.11	6903.00	...	6903.00	3816.47	...	3816.47	7000.00	...	7000.00
15. उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई)												
15.01 बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	4230.30	...	4230.30	6125.00	...	6125.00	5747.00	...	5747.00	8885.00	...	8885.00
15.02 आई टी हार्डवेयर के लिए उत्पादन आधार पर प्रोत्साहन	54.10	...	54.10	75.00	...	75.00	30.00	...	30.00	115.00	...	115.00
जोड़- उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई)	4284.40	...	4284.40	6200.00	...	6200.00	5777.00	...	5777.00	9000.00	...	9000.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	9139.63	...	9139.63	17871.26	...	17871.26	13766.47	...	13766.47	22071.00	...	22071.00
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
16. प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक)	270.00	...	270.00	270.00	...	270.00	270.00	...	270.00	275.00	...	275.00
17. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (सी-मैट) के लिए सामग्री केंद्र	83.02	...	83.02	110.00	...	110.00	90.00	...	90.00	100.00	...	100.00
18. एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर)	150.00	...	150.00	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00
19. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)	800.00	...	800.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00
20. भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान	23.90	...	23.90	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	50.00	...	50.00
21. सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल)	409.94	...	409.94	540.00	...	540.00	490.00	...	490.00	500.00	...	500.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	1736.86	...	1736.86	1700.00	...	1700.00	1630.00	...	1630.00	1685.00	...	1685.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
22. डिजिटल इंडिया कापरिशन पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया	15.00	...	15.00	13.00	...	13.00	13.50	...	13.50	15.00	...	15.00
23. वास्तविक वसूलियां	-80.75	...	-80.75
जोड़-अन्य	-65.75	...	-65.75	13.00	...	13.00	13.50	...	13.50	15.00	...	15.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	1671.11	...	1671.11	1713.00	...	1713.00	1643.50	...	1643.50	1700.00	...	1700.00
कुल जोड़	12376.71	389.63	12766.34	21355.89	581.01	21936.90	17209.75	356.56	17566.31	25583.11	443.14	26026.25
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	10190.21	...	10190.21	17443.02	...	17443.02	13674.52	...	13674.52	21226.44	...	21226.44
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	1386.50	...	1386.50	1525.74	...	1525.74	1558.58	...	1558.58	1549.57	...	1549.57
3. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	800.00	...	800.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00
4. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	218.51	218.51	...	183.11	183.11	...	166.80	166.80	...	182.46	182.46
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	171.12	171.12	...	397.90	397.90	...	189.76	189.76	...	260.68	260.68
जोड़-आर्थिक सेवाएं	12376.71	389.63	12766.34	19568.76	581.01	20149.77	15833.10	356.56	16189.66	23376.01	443.14	23819.15
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	1787.13	...	1787.13	1376.65	...	1376.65	2207.10	...	2207.10
जोड़-अन्य	1787.13	...	1787.13	1376.65	...	1376.65	2207.10	...	2207.10
कुल जोड़	12376.71	389.63	12766.34	21355.89	581.01	21936.90	17209.75	356.56	17566.31	25583.11	443.14	26026.25

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान एमईआईटीवाई सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र:** इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का एक संबद्ध कार्यालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) है जो नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रदायगी के लिए ई-शासन, आईसीटी अवसंरचना, अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने वाला एक प्रमुख वैज्ञानिक/ तकनीकी संगठन है।

3.01. **मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी):** एमईआईटीवाई के तहत एक संबद्ध कार्यालय मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी संगठनों (केंद्र और राज्य) को परीक्षण, अंशांकन और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करता है। यह गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001), सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 27001) और उत्पाद प्रमाणन सेवाएं जैसे सुरक्षा (एसएस मार्क और सीआरएस), सुरक्षा (आईओटी और बायोमेट्रिक उपकरण) ईपीएस, जीआईजीडब्ल्यू आदि जैसी प्रक्रिया प्रमाणन सेवाएं भी प्रदान करता है। इसके अलावा एसटीक्यूसी इन संगठनों को पैनलबद्ध किये जाने के लिए एमईआईटीवाई को सक्षम करने वाली सीएसपी और डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशाला की प्रक्रिया ऑडिट में भी शामिल है।

3.02. **साइबर सुरक्षा (सीईआरटी- इन):** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, सीईआरटी-इन की स्थापना की गई है। सीईआरटी-इन साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों जैसे साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार, सूचना सुरक्षा पद्धतियों से संबंधित दिशानिर्देश, परामर्शी निदेश, सुभेद्यता नोट और श्वेतपत्र जारी करने साइबर घटनाओं की प्रक्रियाओं, रोकथाम, प्रतिक्रिया और रिपोर्टिंग, साइबर सुरक्षा घटनाओं के पूर्वानुमान और अलर्ट, साइबर सुरक्षा की घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय, साइबर सुरक्षा की घटनाओं का समन्वय आदि जैसे विभिन्न कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और देश में कंप्यूटर संदूषक की घुसपैठ या प्रसार की पहचान, विश्लेषण और रोकथाम के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैकिंग डेटा या जानकारी की निगरानी और संग्रह करने के लिए अधिकृत एजेंसी भी है।

3.03. **प्रमाणन प्राधिकरणों का नियंत्रक (सीसीए):** सीसीए, प्रमाणन प्राधिकारियों (सीए) को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) जारी करने के लिए लाइसेंस जारी करता है। सीसीए सीए की सार्वजनिक कुंजी को प्रमाणित करता है, सीए द्वारा बनाए रखे जाने वाले मानकों को निर्धारित करता है और आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 18 में शामिल अन्य कार्य करता है।

3.04. **डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड:** डिजिटल पर्सनल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को 11 अगस्त 2023 को अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि निजी डाटा का संसाधन इस ढंग में किया जाए कि व्यक्तियों के दोनों अधिकारों अर्थात् अपने निजी डाटा

की सुरक्षा और उससे जुड़े अथवा उसके अनुपांगिक मामलों से संबंधित विधिक प्रयोजनों के लिए ऐसे निजी डाटा को संसाधित करने की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। डिजिटल निजी डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अध्याय V में एक डाटा संरक्षण बोर्ड-डीपीबी की स्थापना का प्रावधान है। डीपीबी के वेतन और अन्य स्थापना व्यय की पूर्ति का व्रजतीय प्रावधान है।

4. **इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन:** व्यापक रूप से ई-गवर्नेंस का उद्देश्य, सस्ती लागत पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए, कई तरीकों से एकीकृत और अंतर-संचालित प्रणालियों के माध्यम से अपने स्थान पर नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। विश्व बैंक समर्थित भारत: सार्वजनिक सेवा परियोजना की ई-डिलीवरी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस योजना के तहत एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है। यह एक मजबूत, गतिशील और सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आधारशिला के रूप में डिजिटल शासन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की कल्पना करता है। इस आवंटन में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयू) के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क:** यह योजना सरकारी नेटवर्क के साथ अनुसंधान और शिक्षा फोकस के साथ देश भर के ज्ञान संस्थानों को जोड़ने के लिए बहु गीगाबिट बैंडविड्थ के साथ राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क स्थापित करने के लिए शुरू की गई है जो भारत में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को लाभान्वित करने में मदद करेगा।

6. **इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर):** सरकार, देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है ताकि उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम वातावरण प्रदान किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण "डिजिटल इंडिया" और "भेक इन इंडिया" कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। निवल शून्य आयात प्राप्त करने का इसका लक्ष्य इस आशय का एक शानदार प्रदर्शन है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 (एनपीई 2019) में चिपसेट सहित मुख्य घटकों के विकास के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित और संचालित करके और उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाकर भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली अभिकल्प और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

7. **आईटी/आईटीईएस उद्योग का संवर्धन:** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर में वीपीओ / आईटीईएस के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष रूप से डिजिटल कमी वाले क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए और आईटी/आईटीईएस उद्योग के संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु, नौकरी स्तंभ के लिए आईटी के अन्तर्गत दो योजनाओं (एनईबीपीएस और आईबीपीएस) का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

8. **साइबर सुरक्षा परियोजनाएं:** इस योजना का उद्देश्य सुरक्षा नीति, अनुपालन और आश्वासन, सुरक्षा, घटना- पूर्व चेतनावनी और प्रतिक्रिया, सुरक्षा प्रशिक्षण, सक्षम कानूनी फ्रेमवर्क और सहयोग को सक्षम बनाने के लिए कई तरह की पहल शुरू करके देश के साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है।

9. **आईटी / इलेक्ट्रॉनिकी / सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास:** अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करके उभरती हुई प्रौद्योगिकी का प्रसार और समामेलन, आवश्यक अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना और वैज्ञानिक और तकनीकी मानव पूंजी बनाने के अलावा इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। इन प्रयासों के परिणाम से देश में स्टार्ट-अप आधार में वृद्धि, आईपी पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास और तकनीकी जानकारी तथा विनिर्माण के लिए भारतीय कंपनियों को इसके हस्तांतरण की उम्मीद है। विभाग द्वारा समर्थित केंद्रित अनुसंधान एवं विकास को इलेक्ट्रॉनिकी (इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली अभिकल्प और अनुप्रयोग, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक, नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक संघटक और सामग्री प्रौद्योगिकी, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान, नवाचार संवर्धन और स्टार्ट-अप, टीडीआईएल के तहत राष्ट्रीय

भाषा प्रौद्योगिकी मिशन (एनएलटीएम), उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग (एचपीसी) में अनुसंधान एवं विकास के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन; सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास (ब्लॉकचैन, क्वान्टम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परसेप्टन इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स); सीसी एंड बीटी में अनुसंधान एवं विकास (अगली पीढ़ी संचार -5जी और उससे आगे, संज्ञानात्मक और सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो और नेटवर्क, क्लाउड संचार, आईओटी, विंग डेटा एनालिटिक्स, ब्रॉडबैंड वायरलेस प्रौद्योगिकी और स्ट्रेटजिक इलेक्ट्रॉनिकी); और सुरक्षा विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं।

11. **क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इन पहलों में औपचारिक क्षेत्र से सामने आती कमियों की पहचान करना और इन कमियों को दूर करने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र और औपचारिक क्षेत्र में कार्यक्रम की योजना बनाना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी और संबद्ध क्षेत्रों में कौशल विकास शामिल है। इस योजना का पीएमजीडीआईएसएचए घटक ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को कंप्यूटर या डिजिटल एक्सेस उपकरणों, विशेष रूप से डिजिटल भुगतान हेतु, प्रशिक्षण प्रदान कर उनको सशक्त करने पर लक्षित है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रियता से प्रतिभागिता कर सकें।

12. **डिजिटल लेनदेन संवर्धन (डिजिटल भुगतान के अलावा):** इस योजना का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण और नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए प्रणालियों, ऐप्स के विकास के लिए समग्र डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है, जो देश में डिजिटल लेनदेन के विकास में मदद करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाने और मापने के लिए अध्ययन सहित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, योजना के लिए व्यापक प्रभाव वाले अंतर-संबंधित मामले शामिल हैं जिसमें एक मापन फ्रेमवर्क का सुझाव देना और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार और विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीतिगत अनुशंसाएं करना शामिल है।

13. **इंडिया एआई मिशन:** भारत सरकार ने 7 मार्च 2024 को इंडियाएआई मिशन को मंजूरी दी, जो देश में एआई नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को लोकतांत्रिक बनाने और उत्प्रेरित करने और भारत के एआई स्टार्टअप और शोधकर्ताओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कार्यात्मक कार्यक्रमों और साझेदारी के माध्यम से एक मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। कंप्यूटिंग एक्सेस को लोकतांत्रिक बनाकर, डेटा गुणवत्ता में सुधार, स्वदेशी एआई क्षमताओं का विकास, शीर्ष एआई प्रतिभा को आकर्षित करना, उद्योग सहयोग को सक्षम करना, स्टार्टअप जोखिम पूंजी प्रदान करना, सामाजिक रूप से प्रभावी एआई परियोजनाओं को सुनिश्चित करना और नैतिक एआई को मजबूत करके, यह भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र के जिम्मेदार, समावेशी विकास को प्रेरित करेगा। मिशन में निम्नलिखित 7 घटक शामिल होंगे: इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता, इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर, इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म, इंडियाएआई एप्लिकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडियाएआई फ्यूचर स्किल्स, इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सेफ एंड ट्रस्टेड एआई।

14. **भारत में सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम:** आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइनिंग और विनिर्माण के वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए भारत में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु एक व्यापक कार्यक्रम – ईएसडीएम को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसका परिव्यय 76,000 करोड़ रुपये है। इस कार्यक्रम में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य उन कंपनियों या संघों को आकर्षक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर, जिसमें एमईएमएस, फैब्स, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, एटीएमपी या ओसैट और सेमीकंडक्टर डिजाइन शामिल हैं।

15. **उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई):** दो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों और आईटी हार्डवेयर में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए पीएलआई योजना के तहत, भारत में निर्मित माल की वृद्धिशील विक्री (आधार वर्ष 2019-20 से) पर 6% से 3% का प्रोत्साहन दिया जाएगा और पांच साल की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को लक्ष्य खंड के तहत कवर किया जाएगा। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 भारत में निर्मित और लक्ष्य खंड के तहत कवर किए गए सामानों की निवल वृद्धिशील विक्री (आधार वर्ष से अधिक) पर लगभग 5% (घटकों/उप-घटकों के स्थानीयकरण के आधार पर) का औसत प्रोत्साहन छह साल की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को प्रदान करती है। लक्ष्य खंड में (i) लैपटॉप (ii) टैबलेट (iii) ऑल-इन-वन पीसी (iv) सर्वर और (v) यूएसएफएफ (अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर) शामिल हैं।

16. **प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक):** प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक): यह मुख्य रूप से एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उत्पादों और समाधानों के डिजाइन, विकास और परिनियोजन में लगा हुआ है। इसे मूल रूप से अनुसंधान करने और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है, सी-डैक का अनुसंधान और विकास ने क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), कार्यनीतिक प्रौद्योगिकी (आपातकालीन/आपदा प्रबंधन सहित), डिजिटल इंडिया आरआईएससी-वी (डीआईआर-वी), सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी (क्लाउड और बांस सहित), ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य सेवा और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसे विभिन्न अन्य प्रौद्योगिकी वर्टिकल में विस्तार किया है। वर्तमान में, देश भर में सी-डैक के बेंगलूर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, नोएडा, पटना, पुणे, सिलचर और तिरुवनंतपुरम शहरों में 12 केंद्र हैं।

17. **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (सी-मैट) के लिए सामग्री केंद्र:** यह उच्च प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में काम कर रहे एमईआईटीवाई की एक पंजीकृत वैज्ञानिक सोसाइटी है जिसमें एलटीसीसी इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग, ऊर्जा भंडारण सामग्री (रिचार्जबल बैटरी, सुपर कैपेसिटर, हाइड्रोजन स्टोरेज), नवीकरणीय ऊर्जा सामग्री (सौर सेल, हाइड्रोजन और ईंधन सेल), फोटोनिक्स के साथ एडिटिव मैनुफैक्चरिंग, क्वांटम सामग्री और नैनो सामग्री सहित और 2डी सामग्री शामिल हैं। सी-मैट अल्ट्राप्योर इलेक्ट्रॉनिक मैटेरियल्स कंपाउंड सेमीकंडक्टर (एसआईसी), इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज और आरओएचएस कंप्लायंस पर भी काम कर रहा है, साथ ही माइक्रोवेव डाइइलेक्ट्रिक्स मैटेरियल्स और पैकेजिंग, एक्ट्यूएटर्स / सेंसर के लिए मल्टीलेयर सेरामिक्स और बायोमेडिकल एप्लीकेशन के लिए प्लास्मोनिक मैटेरियल्स सेंसर पर भी काम कर रहा है।

18. **एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर):** यह एमईआईटीवाई की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है जो इन प्रौद्योगिकियों के लिए विकास अनुप्रयोगों के विशेष लक्ष्य के साथ माइक्रोवेव, मिलीमीटरवेव और विद्युत-चुंबकत्व के उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में साथ काम कर रहा है, इसके मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी में पांच केंद्र हैं।

19. **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई):** भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की स्थापना आधार (टारगेटेड डिलिवरी ऑफ फाइनेंसियल एण्ड अदर सन्सिडी, बेनिफिट्स एण्ड सर्विसेज) एक्ट, 2016 को लागू करने के लिए की गई है, ताकि सन्सिडी, लाभ और सेवाओं के सुशासन, कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण का प्रावधान किया जा सके, जिसके लिए ब्यय भारत की संचित निधि / राज्यों की समेकित निधि से किया जाता है। इसलिए, इसका उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी सेवाओं के निष्पक्ष और न्यायसंगत निष्पादन के माध्यम से 'सुशासन' प्रदान करना है। यह जीवन की सुगमता की दिशा में प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है।

20. **भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान:** यह एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है, जो प्रौद्योगिकी विकास और प्रबंधन, अनुसंधान और विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा, क्षमता निर्माण और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहायक प्रौद्योगिकी अन्तरण और उद्यमिता विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एमईआईटीवाई के तहत पंजीकृत है।

21. **सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल):** यह इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है और देश की कार्यनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का कार्य कर रहा है। यह हाइ-रेल बोर्डों, रेडियो साउंड सिस्टमों के फेब्रिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक उप-प्रणालियों के स्वदेशीकरण का भी कार्य कर रहा है।

22. **डिजिटल इंडिया काॅर्पोरेशन पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया:** डिजिटल इंडिया काॅर्पोरेशन (पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया): डिजिटल इंडिया काॅर्पोरेशन (डीआईसी) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दृष्टिकोण, उद्देश्यों और लक्ष्यों को साकार करने में अग्रणी और मार्गदर्शक है। यह ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण, सर्वोत्तम पद्धतियों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करने, विभिन्न डोमेन में नवाचारों और प्रौद्योगिकियों का पोषण करने के माध्यम से डिजिटल इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र/राज्यों के मंत्रालयों/विभागों को कार्यात्मक सहायता प्रदान करता है। लंबे समय में संगठन की स्वायत्तता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, डीआईसी सेवा वितरण के लिए मॉडल विकसित करने के लिए उद्योग के साथ साझेदारी भी करता है और जुटाता है।